

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
आदेश

सं०-03/आ०1-228/2025 ...../ श्री राजदेव राम, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के विरुद्ध श्री रंजय कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सिवान का परिवाद प्राप्त हुआ।

2. प्राप्त परिवाद के आलोक में श्री राजदेव राम से पक्ष/प्रतिक्रिया प्रतिवेदन की मांग की गयी।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक-62 दिनांक 13.04.2026 द्वारा पक्ष/प्रतिक्रिया प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. प्राप्त पक्ष/प्रतिक्रिया प्रतिवेदन की समीक्षा में यह ज्ञात होता है कि श्री रंजय कुमार, लिपिक द्वारा श्री राजदेव राम, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के विरुद्ध लगाए गए आरोप साक्ष्यों से सम्पुष्ट नहीं है। प्राप्त पक्ष/प्रतिक्रिया प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि श्री रंजय कुमार, लिपिक द्वारा आदतन बार-बार परिवाद दिया जाता है।

5. अतः श्री राजदेव राम, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के विरुद्ध दिए गए परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-228/2025 i./411684/ पटना, दिनांक-.....07/05/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/श्री राजदेव राम, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 07-05-2026 11:15:59